में कितने पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध न्यायालय में अपराधिक मामले दायर किये गये हैं ; और

(ख) यदि अभी तक कोई मामला दायर नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम एम जैकब) : (क) और (ख) 1984 के दंगों में अंतर्ग्रस्त पुलिस कार्मिकों से संबंधित 16 मामलों को जांच की जा रही है । इन मामलों में से एक मामले में पुलिस द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 173(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजने के बाद, आगे की जांच पड़ताल शुरू की गई है । इसके अतिरिक्त सुश्री मित्तल की रिपोर्ट में बताए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है ।

Functioning of the Crime Branch of Delhi Police

3151. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to streamline the functioning of the Crime Branch of Delhi Police in view of poor rate of crime detection;

(b) if so, the number of cases detected by the Crime Branch during the last one year;

(c) the number of cases handed over to the crime branch for detection by Government during the above period; and

(d) the steps taken by Government to streamline its working?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (d) The Delhi Police have reported that they have submitted a proposal to the Delhi Administration for reorganising the Crime Branch with a view to further improving its functioning.

During 1991, detection rate of the Crime Branch was 92.7 per cent.

The Crime Branch took up for investigation 746 cases during this period.

पुलिस बलों संबंधी समिति

3152. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन : श्री रणजीत सिंह :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों को और अधिक कार्यक्षम बनाने की दृष्टि से किसी समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब किया गया था और इसके सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) सरकार ने अभी तक ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया है ।

Promotion of qualified peons in the M.C.D.

3153. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of peons working in M.C.D. who possess qualifications upto Matric, Higher Secondary, B.A. and above;

(b) whether any of such peons have been promoted to the post of L.D.C. or any other higher post;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) what are the provisions in the Recruitment Rules governing the post of peons and since when these R.Rs. have not been amended; and

(e) whether Goverment propose to amend the Rules, if so, by when these Rules are likely to be amended?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) The Municipal Corporation of Delhi has reported that educational qualifications for the post of Peon have been prescribed as Middle pass in the Recruitment Regulation. No record about peons possessing higher qualifications has been maintained.

(b) and (c) The Municipal Corporation of Delhi promoted 39 peons possessing High School or higher qualifications to the post of Lower Division Clerk on the basis of a Limited Departmental Competitive Examination in 1988.

(d) The Recruitment regulations for the post of peons were notified vide No. F. 2(23)/74-LSG dated 23-5-74 and continued to be inforce. As per notified Recruitment Regulations, vacancies in the grade of Peon are to be filled up by direct recruitment from those who possess the educational qualifications of Middle pass.

(e) There is no proposal to amend the said Recruitment Regulations.

असम में बोडो समस्या

3154. **कुमारी सुशीला तिरिया:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में बोडो उग्रवाद के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए असम के बोडो-बहुल क्षेत्रों में हाल ही में सेना को तैनात करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो बोडो-हिंसा के कारण कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए और सेना द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार बातचीत के द्वारा बोडो-विवाद को हल करने के लिए कोई कदम उठानका विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बोडो-समस्या किन मुद्दों के कारण उत्पन्न हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान, बोडो हिंसा के कारण 90 व्यक्ति मारे गये और 169 व्यक्ति घायल हुए। जनवरी, 1991 से सेना द्वारा 116 बोडो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने अखिल बोडो छात्र संघ और बोडो पियुपिल एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बार बातचीत करने के बाद एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

(ङ) बोडो की समस्याएं पर्याप्त विकास का अभाव, उनकी भूमि हस्तांतरित करने, सार्वजनिक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, उनके कार्यों इत्यादि के प्रबन्ध में उनकी भागीदारी न होने की भावना से संबंधित है।

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह

3155. **श्री अजीत जोगी:**
कुमारी आलिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोहात्मक-गतिविधियों से निपटने के लिए कोई क्षेत्रीय रणनीति तैयार की है;